24/8/22

उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक ...
आंशिक कार्य स्थगित रखा/P.O. ...
अन्य प्रशासनिक कार्य ...
पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 21/9/22 को ...

(रीडर)

21/9/22

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के मुख्य तथ्यों को दोहराते हुए वादी का वाद दुरुस्त करते हुए डिक्री किया। अपने साक्ष्य का सत्यापन किया। फौती रिपोर्ट में भी वादी का नाम विवादित के रूप में सर्वे से दर्ज होना पाया गया है। अतः वादी की वादिनी का अन्तर्गत धारा 136 (2) RAA स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी सं. 2014-15 के खाता सं. 101 में दर्ज नाम नीलू पुत्री सुरजा, खाता सं. 14 में नीलू पुत्र सुरजमल, खाता सं. 102 में नीलू पुत्री सुरजा के स्थान पर सीताराम दर्ज नीलू पुत्र सुरजमल दर्ज सुरजा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पत्रावली डाक होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप ... अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राजस्थान